तमिलनाडु कावेरी नीरपपासना वलाईपोरूगल वीवासाईगल नाला उरिमाई पधुगप्पु संगम

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

4 मई, 1990

[रंगनाथ मिश्रा, पी. बी. सावंत और के. रामास्वामी, न्यायाधिपतिगण]

अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 - धारा 3,4 और 11 कावेरी जल विवाद - सरकार ने न्यायाधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया।

अपीलार्थी तमिलनाडु के किसानों की एक पंजीकृत समिति है, जो वर्षों से अपनी भूमि पर खेती करने करने के लिये कावेरी नदी के तटवर्ती अधिकारों के हकदार हैं। इस न्यायालय से मांग की गई है कि कावेरी नदी के जल उपयोग और उसके न्यायसंगत वितरण से संबंधित विवाद को अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के संदर्भ में संदर्भित करने के लिये भारत संघ प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिए जाएं। कर्नाटक राज्य को राज्य के भीतर उक्त नदी या उसकी सहायक नदियों पर बांध परियोजनाओं, जलाशयों के निर्माण न करने और 18 फरवरी, 1924 के समझौतो में परिकल्पित अनुसार तमिलनाडु राज्य को पानी की आपूर्ति

बहाल करने के लिए एक परमादेश जारी करने के लिये भी। इस याचिका में कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को भी क्रमशः प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के रूप में जोड़ा गया है।

वर्ष 1970 में, तमिलनाडु राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जल के समान वितरण के प्रश्न को निपटाने के लिये भारत संघ से एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अनुरोध किया। इस न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन राजनीतिक विचार-विमर्श पर इसे वापस ले लिया गया ताकि आपसी समक्ष और बातचीत से समाधान निकाला जा सके।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह प्रस्तुत किया गया है कि बातचीत के जरिये समाधान के लिये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका और समस्या बनी रही।

कर्नाटक राज्य ने याचिका की पोषणीयता का विरोध करते हुए कई हलफनामे दायर किए और भारत संघ ने भी अधिनियम की धारा 11 के आधार पर आवेदन का विरोध किया है।

याचिका 18 नवंबर, 1983 को प्रस्तुत की गई थी और 12/12/83 को कोर्ट ने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। तमिलनाडु राज्य ने दिनांक 6/5/87 को उसी राहमत की मांग करने वाले याचिकाकर्ता का

समर्थन किया और उसके साथ खुद को जोडा, राज्य ने भी याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन करते हुए इस न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया और याचिकाकर्ता के रुख को अपनाकर विवाद में प्रभावी रूप से शामिल हो गया।

कावेरी नदी की मुख्यधारा का उद्गम कूर्ग की पहाड़ियों से हुआ है। नदी की कुछ सहायक नदियां केरल राज्य में और अन्य कर्नाटक राज्य में निकलती है। यह नदी लगभग 300 किलोमीटर तक बहती है, बंगाल की खाडी मे शामिल होने से पहले कर्नाटक राज्य में और लगभग समान अवधि के लिये तमिलनाडु राज्य में। संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची । के अनुच्छेद 262, प्रविष्टि 56 के अनुसार एक अंतर-राज्यीय नदी है, इसलिए उक्त नदी का विनियमन और विकास भारत संघ के नियंत्रण में है और संसद द्वारा कानून के जरिये सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 262 विवादो के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है (1) जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में, (2) संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी मामले में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा, जैसा कि खंड (1) में निर्दिष्ट किया गया है।

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि किसी राज्य की सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य राज्य की सरकार के साथ जल विवाद उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है और इससे राज्य या किसी निवासी के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, तब राज्य सरकार निर्धारित तरीके से केंद्र सरकार से जल विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये एक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने का अनुरोध करती है।

इस न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया:

यह विवाद वह है जिस पर तमिलनाडु के लागे और राज्य 20 वर्षो से अधिक समय से हंगामा कर रहे है। यह मामला पिछले 6-1/2 वर्षो से इस न्यायालय में लंबित है। यह अभिलेख पर है कि इन वर्षों में कर्नाटक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की 26 बैठकें हुई है और इनमें से कुछ में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रियो ने भी भाग लिया है, लेकिन बातचीत के जरिये समाधान निकालने में सफल नहीं हुये है। ऐसा लगता है कि विवाद को हल करने के लिये कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। इस न्यायालय ने विषय वस्तु की प्रकृति के कारण बातचीत के प्रयासो को समायोजित करने के लिये कई सथगन दिये है। अंतत: दिनांक 26/2/1990 को न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि रिट याचिका को 24/4/1990 को अंतिम

सुनवाई के लिये सूचीबद्व किया जायेगा क्योंकि केंद्र सरकार के आदेश पर या अन्यथा इन दोनो राज्यो को बातचीत के माध्यम से समाधान पर पहुंचने के लिये पर्याप्त अवसर और समय दिया गया है। 26/4/1990 को भारत संघ ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि केंद्र सरकार आगे कोई बातचीत नहीं करना चाहती है और मामले को इस न्याययालय द्वारा निस्तारण के लिये छोड दिया है। [89 जी-एच; 90 बी-सी; 91 डी]

विवाद के इतने लंबे समय तक खिंचने का कोई कारण नहीं था, वैधानिक रूप से अनिवार्य कार्यवाही करने में किसी भी तरह की देरी से भावनायें और अधिक भडकेंगी और अधिक कडवाहट पैदा होगी। [91 एच; 92 ए]

अधिनियम की धारा 4 इंगित करती है कि धारा 3 में संदर्भित अनुरोध के आधार पर, यदि केंद्र सरकार की राय है कि जल विवाद का निपटारा बातचीत से नहीं किया जा सकता है, तो केंद्र सरकार को विवाद के निर्णय के लिये एक न्यायाधिकरण का गठन करना अनिवार्य है। विवाद। [92 बी]

वैधानिक दायित्व को पूरा करने के लियेकेंद्र सरकार जल विवाद के निण्रय के लिये एक उपयुक्त न्यायाधिकरण के गठन को अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करेगी। ऐसा एक माह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिये। [92 डी]

मूल क्षेत्राधिकार

रिट याचिका संख्या 13347/1983

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के. के. वेणुगोपाल, सी. एस. वैद्यनाथन और के. वी. विश्वनाथन, याचिकाकर्ता के लिये।

पी. के. गोस्वामी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, पी. एस. पोती, के. परासरन, एस. एस. जवालई और एफ. एस. नरीमन, बी. वी. आचार्य, महाधिवक्ता, पी. आर. रामासेश, सुश्री ए. सुभाशिनी, टी. टी. कुन्हीकानन, वी. कृष्णमूर्ति, के. रामकुमार और आर. करुप्पन, व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय रंगनाथ मिश्रा, न्यायाधिपति, द्वारा दिया गया था।

यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तमिलनाडु कावेरी नीरप्पासन विलाईपोरुलगल विवासाईगल नाला उरिमल पधुगप्पु संगम द्वारा दायर एक याचिका है, जिसे तमिलनाडु समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक समिति कहा जाता है और इस न्यायालय से मांग की गई है कि कावेरी नदी के जल उपयोग और उसके न्यायसंगत वितरण से संबंधित विवाद को अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के संदर्भ

में संदर्भित करने के लिये भारत संघ प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिए जाएं। कर्नाटक राज्य को राज्य के भीतर उक्त नदी या उसकी सहायक नदियों पर बांध परियोजनाओं, जलाशयों के निर्माण न करने और 18 फरवरी, 1924 के समझौतो में परिकल्पित अनुसार तमिलनाडु राज्य को पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए एक परमादेश जारी करने के लिये भी। इस याचिका में कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को भी क्रमशः प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के रूप में जोड़ा गया है।

याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता की समिति तमिलनाडु के कृषको का एक संगठन है और वे वर्षो से अपनी भूमि पर खेती करने के लिये कावेरी नदी के निचले पुनर्खरीद अधिकारो के हकदार है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कर्नाटक राज्य द्वारा अपनी सीमाओ के भीतर कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियो पर नये बांधो, परियोजनाओ और जलाशयो के निर्माण के कारण मेटटूर बांध बिंदु पर और धारा के नीचे कावेरी में प्रवाह काफी कम हो गया है। वर्ष 1970 में तमिलनाडु राज्य ने भारत संघ से एक न्यायाधिकरण स्थापित करने और अधिनियम की धारा3 के अंतर्गत कावेरी जल के समान वितरणके प्रश्न को संदर्भित करने का अनुरोध किया था। इस न्यायालय में तमिलनाडु राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दायर एक मुकदमा राजनीतिक विचार-विमर्श और आपसी सहमति और बातचीत से समाधान की प्रत्याशा में वापिस ले लिया

गया था। वर्तमान प्रकार की याचिकायें भी इस न्यायालय में 1971 की रिट याचिका संख्या 303 और 304 / 1971 के रूप में दायर की गई थी, लेकिन 24/7/75 को आपातकाल की अवधि के दौरान मौलिक अधिकारो के निलंबन के कारण उन्हें वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि तत्कालीन मद्रास राज्य और तत्कालीन मैसूर रियासत के बीच कावेरी जल का बंटवारा 1892 और 1924 में हुये समझौतो के एक सेट द्वारा कवर किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार इसके लिये दो पक्षीय ओर बहुपक्षीय वार्ता के माध्यम से कई प्रयास किये गये थे। कावेरी जल के समान वितरण के लिये बातचीत हुई लंकित कोई समाधान नहीं निकल सका और समस्या बनी रही। चूंकि हम जल वितरण से संबंधित मामले के गण-दोष पर नहीं है, इसलिये आगे की दलीलो का कोई विवरण देना अनावश्यक है।

कर्नाटक राज्य ने कई शपथपत्र दायर करके याचिका की विचारणीयता के साथ साथ राहत के लिये याचिका की वैाता का भी विरोध किया है। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने भी आवेदन की पोषणीयता का विरोध किया है। अधिनियम की धारा 11 पर भरोसा व्यक्त किया है, जिसका हम वर्तमान में संदर्भ देंगे।

सुनवाई में, कर्नाटक राज्य की ओर से श्री नरीमन के साथ साथ राज्य के महाधिवक्ता और भारत संघ की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल ने उपरोक्त रूख दोहराया है।

तमिलनाडु राज्य ने 6/5/1987 को इस न्यायालय में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमे उसने न केवल याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन किया, बल्कि याचिककर्ता के रूख को अपनाकर प्रीाावीढंग से विवाद में शामिल हो गया। केरल राज्य ने सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिये मामले को भारत संघ की सदभावना पर छोड दिया है। मामले की सुनवाई में केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, हालांकि हमे बताया गया कि उनका रूख तमिलनाडु राज्य के साथ समान था।

यह याचिका 18 नवंबर 1983 को दायर की गई थी, 12/12/83 को इस न्यायालय नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और जैसा कि पहले ही इंगित किया गया कि तमिलनाडु राज्य ने 6/5/1987 के अपने शपथपत्र में बताया था, याचिकाकर्ता के समर्थन में आया था। तमिलनाडु राज्य द्वारा स्वंय को याचिकाकर्ता के साथ जोडकर याचिकाकर्ता के रूख को अपनाना शायद संपूर्ण है। इस न्यायालय के समक्ष, याचिकाककर्ता और तमिलनाडु राज्य जैसी समितियो ने उसी राहत के लिये आवेदन किया था जो याचिकाकर्ता चाहता है। इस तयि को ध्यान मे रखते हुये कि तमिलनाडु राज्य ने अब याचिकाकर्ता का पूरी तरह से और बिना किसी आपत्ति के

समर्थन किया है और न्यायालय ने इस मामले को लगभग 7 वर्षो तक अपने पास रखा है, अब इस स्तर पर उठाई गई आपत्ति को स्वीकार करते हुये याचिका को खारिज कर दिया जायेगा। कर्नाटक राज्य की ओर से कहा गया है कि राहत के लिये याचिकाकर्ता जैसे समाज की याचिका सुनवाई योग्यनहीं है, यह मामलो की वास्तविक स्थिति की अनदेखी होगी, बहुत अधिक तकनीकी दृष्टिकोण होगा और हमारे विचार में यह पूरी तरह से अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। तदनुसार, हम इस याचिका को एक ऐसी याचिका के रूप में मानते हैं जिसमें तमिलनाडु राज्य वास्तव में याचिकाकर्ता है, हालांकि हमने एक विशिष्ट अनुरोध के अभाव में स्थानांतरण का औपचारिक आदेश नहीं दिया है।

कावेरी नदी की मुख्य धारा का उद्गम कूर्ग की पहाड़ियों से होता है। कुछ सहायक नदियां केरल राज्य से निकलती है जबकि कुछ का उदगम कर्नाटक से है, उस नदी में मिल गई हैं। यह नदी लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक बहती है, कर्नाटक राज्य के भीतर और अंतत- बंगाल की खाडी मे शामिल होने से पहले तमिलनाडु राज्य के भीतर लगभग समान विस्तार में। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत कावेरी एक अंतरराज्यीय नदी है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 56 इस प्रकार है:

"56. अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास उस सीमा तक, जिस सीमा तक संघ के नियंत्रण में ऐसे विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून के जरिये सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया जाता है।"

अनुच्छेद – 262 प्रदान करता है-

"अंतरराज्यीय नदियो और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादो का न्यायनिर्णयन–

(1) संसद कानून द्वारा जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है, या किसी अन्तरराज्यीय नदी या नदी घाटी;

(2) इस संविधान मे किसी भी बात के बावजूद, संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य अदालत ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंधमें क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगी जैसा कि खंड (1) में संदर्भित है।"

हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33), इस अनुच्छेद के अर्थ में एक कानून है।

अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित प्रावधान करती है-

> "3. यदि किसी राज्य की सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी अन्य राज्य की सरकार के साथ जल विवाद इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है कि राज्य या उसके किसी निवासी के हित, किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी का जल निम्नलिखित के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है या होने की संभावना है-
>
> (ए) ... .
>
> (बी) .....
>
> (सी) .....
>
> राज्य सरकार, ऐसे प्रारूप और तरीके से, जो निर्धारित किया जा सकता है, केंद्र सरकार से जल विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये एक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने का अनुरोध कर सकती है।"

अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान हैः

> "11. किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय के पास होगा या किसी भी जल विवाद के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे, जिसे इस अधिनियम के तहत किसी न्यायाधिकरण को संदर्भ के लिये भेजा जा सकता है।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 11 इस न्यायालय सहित सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को उन विवादो के न्यायनिर्णयन पर रोक लगाती है जो अधिनियम की धारा 3 के तहत एक न्यायाधिकरा को संदर्भित किये जाते है। इसलिये, इस न्यायालय के पास रिट याचिका मे उठाये गये तथ्यात्मक पहलुओ पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

हालाँकि, हमारे सामने कोई गंभीर विवाद नहीं उठाया गया है, जिसमें रिट याचिका मे दावे पर विचार करनेके हमारे क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई हे, जो कि अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के भतर विवाद को न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के सवाल तक सीमित है। अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान हैः

"4. (1) जब धारा 3 के तहत कोई अनुरोध प्राप्त होता है, किसी भी जल विवाद के संबंध में किसी भी राज्य सरकार की राय हो और केंद्र सरकारकी राय हो कि जल विवाद को बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता है, तो केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निपर्णय के लिये एक जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करेगी।

(2) ... .

(3) ...."

निस्संदेह धारा 4 न्यायाधिकरण की स्थापना के लिये केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करते हुये इसे केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित राय के गठन पर सशर्त बना दिया गया है। विचाराधीन विवाद वह है जिसपर तमिलनाडु के लोग और राज्य पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से संघर्ष कर रहे है। यह मामला इस अदालत में साढ़े छह साल से अधिक समय से लंबित है। यह रिकॉर्ड में है कि इस अवधि के दौरान कई वर्षों में 26 बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने समझौता करने की असफल कोशिश की है; इनमें से कुछ केंद्र सरकार के कहने पर किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और अन्य लोगों ने भाग लिया है।

विवाद उत्पन्न होने के बाद एक समय था, जब कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के साथ-साथ केंद्र में सरकारे एक ही राजनीतिक दल द्वारा चलाई जाती थी। शायद अगर उस दोरान केंद्र ने प्रभावी तरीके से हस्तक्षेप किया होता तो बातचीतसे समाधन की काफी संभावना थी। ऐसा लगता है कि उस समय विवाद को हल करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया था और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और पगति पकडने और संवेदनशीलता के मुद्दों को जन्म देने की अनुमति दी गई है। विषय-वस्तु की प्रकृति को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से दिए गए कई स्थगनों के बाद यह मामला 26.2.1990 को बुलाया गया था जब निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

> "रिट याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए 24.4.1990 तक के लिये स्थगित कर दिया गया है और इसे बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध किया जाना है। आगे कोई स्थगन नहीं दिया जायेगा।"

कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के महाधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। विद्वान महान्यायवादी भी उपस्थित हैं। रिट याचिका संख्या 13347/83 में वकील ने जोर देता है कि मामले को और स्थगित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों राज्यों के बीच सुलह की एक ही दलील पर कई स्थगनों का कोई नतीजा नहीं निकला है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने हमें

बताया है कि मार्च के महीने में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों मिलेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि फरवरी के महीने में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैंगलोर में विमान दुर्घटना के कारण वह बैठक नहीं हो पाई, इन परिस्थितियों में, पक्षों को बातचीत के लिये छोडते हुये, हमने निर्णय लिया है कि तब तक कोई समझौता नहीं होने की स्थिति में अब मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की जाएगी।

फिर बातचीत का एक और अवसर प्रदान करने केलिये लगभग दो महीनेका लंबा स्थगन दिया गया। अब हमें बताया गया है कि दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात 19 अप्रैल, 1990 को हुई थी और अगली बैठक अगले दिन होने वाली थी, जिसमें केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री को भी भाग लेना था। दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल सका और अगले दिन होने वाली बैठक किसी न किसी कारण से नही हो पाई। जब हमने 24 अप्रैल, 1990 को मामले की सुनवाई की, तो तमिलनाडु राज्य के वकील ने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया कि राज्य के मुख्यमंत्री आगे बातचीत की मेज में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। इसके समर्थन में मद्रास से प्राप्त टेलेक्स संदेश के साथ एक शपथपत्र को अब रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है।

बातचीत के इन प्रयासो को समायोजित करने के लिये चार से पांच साल की अवधि के भीतर 26 प्रयास और इस न्यायालय द्वारा कई बार स्थगन निश्चित रूप से केंद्र के आदेश पर या अन्यथा समझौते पर बातचीत करने के लिये इन दोनो राज्यो के लिये पर्याप्त अवसर और समय था। चूँकि ये प्रयास विफल रहे हैं, इसलिए यह मानना नि:संदेह उचित होगा कि विवाद को बातचीत से हल नहीं किया जा सकता है। फिर भी, चूंकि गठित की जाने वाली अपेक्षित राय अधिनियम की धारा 4 के अनुसार केंद्र केंद्र सरकार की है, जब हमने 24 अप्रैल, 1990 को फैसला सुरक्षित रखा था, तो हमने केंद्र सरकारके विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया से न्यायालय को अवगत कराने के लिये दो दिन का समय दिया था। भारत संघ की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री गोस्वामी ने 26/4/1990 को अन्य पक्षो के वकील की उपस्थिति में हमे सूचित किया कि केंद्र सरकार आगे कोई बातचीत नहीं करना चाहती है और न्यायालय द्वारा निस्तारण के लिये प्रकरण को छोड दिया है। इन परिस्थतियों में, हमारे पास यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि एक स्पष्ट तस्वीर सामने आ गई है कि बातचीत द्वारा समाधान नहीं निकाला जा सकता है और जैसा कि उपर बताया गया है, इस मामले में घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुये यह माना जाना चाहिये कि केंद्र सरकार की भी यही राय है, खासकर जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि वह अब बातचीत में शामिल होने के लिये तैयार नहीं है।

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि मामला बहुत संवेदनशील है। इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि केंद्र में सरकार एक राजनीतिक दल की है जबकि दोनो राज्यो में संबंधित सरकारे क्रशतः अलग अलग राजनीतिक दलो द्वारा चलाई जाती है। हालांकि, इसमें शामिल विवाद यह है जो दक्षिणी राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को प्रभावित करता है। इस प्रकृति के विवादो से संबंधित राज्यो के लोगो के बीच कडवाहट की अपरिहार्य भावना पैदा होने की संभावना है। विवाद जितना लंबा चलेगा, कडवाहट उतनी ही अधिक होगी। इसलिये, सभी राज्यो में लेागो के हितो के संरक्षक के रूप में केंद्र सरकार को ऐसे सभी अवसरो पर संवैधानिक तंत्र को गति देने के लिये त्वरित कदम उठाने चाहिये। सौभाग्य से, संसद ने कानून बनाकर केंद्र सरकार को मामले को निष्पक्ष न्यायाधिकरण को भेजकर ऐसे विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने की शक्ति प्रदान की है। इसलिए विवाद के इतने लंबे समय तक खिंचने का कोई कारण नहीं था। वैधानिक आदेश कार्यवाही करने में किसी भी तरह की देरी से भावनाये और अधिक भडकेंगी और अधिक कडवाहट पैदा होगी। इसलिए, यह आवश्यक है कि विवाद बढ़ने से पहले क़ानून द्वारा प्रदान की गई कानूनी मशीनरी को चालू किया जाए। समय रहते संभलने से बडी आफत टलती है। जो बात किसी व्यक्ति के लिये सत्य है, वह संभवतः राष्ट्र के लिये अधिक सत्य है।

धारा 4 इंगित करती है कि अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट अनुरोध के आधार पर यदि केंद्र सरकार की राय है कि जल विवाद को बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता है, तो विवाद के निर्णय के लिये केंद्र सरकार के लियेएक न्यायाधिकरण का गठन करना अनिवार्य है। हमें बिल दिखाया गया था जिसमें धारा 4 के अंतर्गत शब्द 'मे' का प्रयोग किया गया था। हालाँकि, संसद ने अधिनियम में उस शब्द को 'होगा' से प्रतिस्थापित कर दिया। एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि एक अवस्था आ गई है तब केंद्र सरकार को यह मान लेना चाहिये कि जल विवाद को अब बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता है, तो यह उसका दायित्व बन जाता है कि वह एक न्यायाधिकरण का गठन करे और विवाद को उसके पास भेजे, जैसा कि अधिनियम की धारा4 के अंतर्गत निर्धारित है। इसलिए हम केंद्रीय सरकार को अपने वैधानिक दायित्व को पूरा करने और इस निर्णय के पहले भाग में निर्दिष्ट जल विवाद के निर्णय के लिए एक उपयुक्त न्यायाधिकरण के गठन को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करने का निर्देश देते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि आज से एक महीने की अवधि के भीतर ऐसा किया जाना चाहिए। तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका स्वीकृत की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।